



National Communal Harmony Awards

2015



National Foundation for Communal Harmony (NFCH)

(An autonomous organisation under the Ministry of Home Affairs, Government of India)

NFCH invites nominations for the **National Communal Harmony Awards 2015** from eligible individuals and organizations for their outstanding contribution for promotion of communal harmony and national integration. The Awards consist of a citation each and cash award of Rupees Five Lakh for an 'Individual' and Rupees Ten Lakh for an 'Organization' on the basis of outstanding contribution over a period of ten years for an individual and five years for an organization. These are essential pre-requisite eligibility conditions to apply for this Award.

Nominations are required to be sent through any of the competent proposers viz. State Government/Union Territory Administration; Municipal Corporation/Municipal Board / *Zilla Panchayat*, by whatever name these are called in a State; Speakers of *Lok Sabha* / *State Vidhan Sabha*; Members of Parliament and State Legislatures; Members of the National Integration Council / Governing Council or Executive Council of the National Foundation for Communal Harmony; Vice-Chancellors of Universities; Recipients of the National Communal Harmony Awards; and Organisations of repute dedicated to promotion of communal harmony and national integration.

Note:

- Before applying for the Award, applicants are requested to ensure their eligibility by referring to the Foundation's website.
- Only those nominations which are found complete in all respects and received within the stipulated time frame (**i.e. 30th June 2015**) will be considered.
- Merely applying for the National Communal Harmony Award does not entitle any individual/organisation to this Award.
- Discussions, deliberations, opinion and proceedings of the Jury in connection with these Awards shall not be made public or otherwise revealed.
- Decisions of the Jury shall not be subject to confirmation by any other authority and no appeal or protest can be made against them.
- Nominations/ documents, etc. submitted to NFCH are non-returnable. These may be shared on public domain, if needed.

Nominations complete in all respects should be sent to **The Secretary, NFCH** at the address given below so as to reach latest by **30th June 2015**. Details may be seen on the website www.nfch.nic.in or obtained from the Office of the Foundation.

Address: 9th FLOOR, 'C' WING, LOK NAYAK BHAVAN, KHAN MARKET, NEW DELHI – 110 003
Email: nfch@mha.gov.in, nfch_lnb@nic.in, Tel: 011-24643052, 24646139 Fax: 24610524.



National Foundation
for Communal Harmony

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2015

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान

(गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)



National Foundation
for Communal Harmony

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, साम्प्रदायिक सद्भावना एवम् राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 के लिए राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कारों हेतु, पात्र व्यक्तियों तथा संगठनों से उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु नामांकन आमंत्रित करता है। इन पुरस्कारों के तहत प्रति वर्ष प्रशस्ति पत्र के साथ चयनित 'व्यक्ति' को पाँच लाख रुपये और 'संगठन' को दस लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने हेतु व्यक्ति विशेष को दस वर्षों एवं संगठन को पाँच वर्षों की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया जाना आवश्यक पात्रता मापदंडों में से है।

नामांकन निर्धारित प्रस्तावक यथा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश; नगर निगम/म्युनिसिपल बोर्ड/जिला पंचायत (राज्य में ये चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों); लोक सभा/राज्य विधान सभा का अध्यक्ष; सांसद तथा विधायक; राष्ट्रीय एकता परिषद् का सदस्य; राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद् व कार्यकारी परिषद् का सदस्य; विश्वविद्यालय का उप-कुलपति; राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्राप्तकर्ता; तथा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समर्पित तथा प्रख्यात संगठन के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है।

नोट:

- आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले उक्त पुरस्कार हेतु अपनी योग्यता प्रतिष्ठान की वेबसाइट देख कर सुनिश्चित कर लें।
- निर्धारित समय सीमा **(30 जून 2015)** के अंदर प्राप्त तथा नियमानुसार प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण नामांकनों पर ही विचार किया जाएगा।
- कोई व्यक्ति अथवा संगठन उक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करने मात्र से ही इस पुरस्कार का दावेदार नहीं होगा।
- पुरस्कार संबंधी निर्णायक मंडल द्वारा की जाने वाली चर्चाएं, विचार-विमर्श, मत, कार्यवाही इत्यादि सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।
- पुरस्कार संबंधी निर्णायक मंडल के निर्णय के विषय में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस संबंध में निर्णायक मंडल को न ही कोई अपील की जा सकती है अथवा ना ही उनके निर्णय के विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया जा सकता है।
- प्रतिष्ठान को प्राप्त नामांकन अथवा नामांकन से संबंधित कागजात या दस्तावेज़ इत्यादि वापस नहीं किये जाएंगे। आवेदकों द्वारा प्राप्त नामांकन संबंधी सूचनाएं आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक की जा सकती हैं।

पूर्ण नामांकन **सचिव, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान** को भेजे जा सकते हैं, जो दिनांक **30 जून 2015** तक प्रतिष्ठान को अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। पुरस्कार संबंधी पूर्ण विवरण प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.nfch.nic.in पर उपलब्ध है अथवा प्रतिष्ठान के कार्यालय से मंगाये जा सकते हैं।

पता: 9वां तल, "सी" विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

E-mail: nfch@mha.gov.in, nfch_lnb@nic.in, दूरभाष: 011-24643052, 24646139, फ़ैक्स: 24610524